

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठाधीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या - 64 / 2023 ज०५५५

1. कानूनकर ५७७ नारायण सिंह रावत नि. करेडा जिला-भीलवाडा-३०००००  
प्रार्थी.....

वनाम

1. राजपूत जमीन स्वामी रावत नि. करेडा जिला-भीलवाडा-३०००००  
विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 10/12/23

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 2280 आराजी नम्बर 2298 2300 2303 2304

07967 / 00885 / 5185 / 05544 / 03541 कुल किता 5 रकबा 2.3522

हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/12/23 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे कायदा की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

• प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैफ्ट रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 2280 आराजी नम्बर 2298 2300 2303 2304 7990/2298

07967 / 00885 / 5185 / 05544 / 03541 कुल किता 5 रकबा 2.3522 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक करेडा को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा